



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2(2)परावि/प्रशा.1/स्थाना./वि.अ./2010/2068

जयपुर, दिनांक:- 30.9.2016

—:आदेश:—

विभागीय आदेश क्रमांक 2061 दिनांक 28.9.2016 द्वारा विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित पंचायत समिति में किये गये थे, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. स.	अधिकारी का नाम सर्व श्री	कहाँ से (पंचायत समिति)	कहाँ को (पंचायत समिति)	टिप्पणी
1.	विजय प्रकाश शर्मा	बसेडी (धौलपुर)	नांवा (नागौर) के स्थान पर कुचामनसिटी (नागौर)	रिक्त पद पर
2.	अर्जुन लाल मोरवाल	सवाईमाधोपुर (सवाईमाधोपुर)	तिजारा (अलवर) के स्थान पर करौली (करौली)	रिक्त पद पर
3.	भवंर लाल विश्नोई	देवगढ (राजसमन्द)	खैरवाडा (उदयपुर) के स्थान पर निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)	रिक्त पद पर

उक्त अधिकारी अविलम्ब अपनी उपस्थिति कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। उक्त अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त सम्बन्धित।
7. जिला कलेक्टर सम्बन्धित।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति सम्बन्धित।
10. ए.सी.पी. मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
11. आदेश पत्रावली।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)